

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ

पत्रांक-स.शि.अ. / 4578-83

/ 2014-15 दिनांक :- 24-02-15

दैनिक जागरण विज्ञापित 25/02/15

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप निम्नालिखित असेवित वार्डों के सम्मुख उल्लिखित गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अधिसूचित अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों की शिक्षा हेतु निःशुल्क शिक्षा दिये जाने के लिये छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 16 मार्च-2015 है।

क्र.सं.	असेवित वार्ड का नाम	वार्ड में स्थित गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के नाम
1.	17-पल्लवपुरम	नालन्दा पब्लिक स्कूल, पल्लवपुरम, सजल पब्लिक स्कूल पल्लवपुरम, मेरठ।
2.	29-जागृति विहार	के.वी.एस.एस. विद्यापीठ, सैक्टर नम्बर 08 जागृति विहार, न्यू ग्रीन लैण्ड पब्लिक स्कूल, ग्रेट मंदर इण्डिया पब्लिक स्कूल, लिटिल फलावर्स पब्लिक स्कूल 729 जागृति विहार।
3.	31-एल ब्लॉक शास्त्रीनगर	चित्रगुप्त बाल विद्यालय, एल.-1082 शास्त्री नगर मेरठ शास्त्री नगर, एम.एस. पब्लिक स्कूल, एल-55 शास्त्री नगर मेरठ, मॉर्डन पब्लिक स्कूल, एल. 19, शास्त्री नगर मेरठ, नूतन बाल एकेडमी, शास्त्री नगर मेरठ, विद्या मन्दिर प्राइमरी स्कूल, के. ब्लाक शास्त्री नगर मेरठ।
4.	38-शिव शक्ति नगर	दीप पब्लिक स्कूल शिव शक्ति नगर, जी.एम.जे. पब्लिक स्कूल शिव शक्ति नगर।
5.	42-शास्त्रीनगर सैक्टर-3	मीनाक्षी पब्लिक स्कूल, सैक्टर 06 शास्त्री नगर मेरठ, ए.वी. पब्लिक स्कूल, आदर्श शिशु मन्दिर पब्लिक स्कूल, आनंदी देवी पब्लिक स्कूल, शिशुविहार, सैक्टर 03 शास्त्री नगर मेरठ बी.एस.वी. पब्लिक स्कूल।
6.	47-शास्त्रीनगर सैक्टर-2	सेन्ट देवाश्रम मिशन पब्लिक स्कूल, शास्त्री नगर मेरठ, महाराना प्रताप शिक्षा सदन, शास्त्री नगर मेरठ, एस.ओ.एस.जे.पी. विद्यापीठ।
7.	52-फूलबाग कॉलोनी	मॉर्डन एकेडमी नेहरू नगर गढ़ रोड मेरठ, जूनियर हाई स्कूल नेहरू नगर, हेम्पी वेली प्राइमरी स्कूल फूलबाग कालोनी, जूनियर हाई स्कूल, डैफाडिल पब्लिक स्कूल, फूलबाग कालोनी जैमनी पब्लिक स्कूल, लिटिल चैम्पस एकाडमी, फूल बाग कालोनी, मेरठ
8.	57-माधवपुरम	लार्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल, चन्द्र प्रभा पब्लिक स्कूल, एस.एल. पब्लिक स्कूल माधवपुरम।
9.	62-पूर्वी इस्लामाबाद	बेबी हेम्पी होम पब्लिक स्कूल गोला कुआ, डी.एम. पब्लिक स्कूल, विकासपुरी, पब्लिक बाल विकास स्कूल, विकासपुरी।
10.	63-जमना नगर	डा. जाकिर हुसैन एकेडमी डा. जाकिर हुसैन कॉलोनी।
11.	65-किदवई नगर	अदनान पब्लिक स्कूल किदवई नगर।
12.	67-श्याम नगर पश्चिम	ग्लोरियस पब्लिक स्कूल श्यामनगर।
13.	69-रशीद नगर	अकबरी मैमोरियल पब्लिक स्कूल, फिरोजनगर।
14.	70-शकूर नगर	यासिन पब्लिक स्कूल सकूर नगर।
15.	72-श्याम नगर पूर्वी	दीप ज्योति पब्लिक स्कूल श्याम नगर, हंदर पब्लिक स्कूल श्याम नगर, डिवाइन पब्लिक प्राइमरी स्कूल श्यामनगर।
16.	73-अहमद नगर	इण्डियन पब्लिक स्कूल, अहमद नगर।
17.	76-जाकिर कॉलोनी उत्तरी	मोहसिना पब्लिक स्कूल जाकिर कॉलोनी।
18.	77-जाकिर कॉलोनी दक्षिणी	एस.ए.एम. इण्डियन पब्लिक स्कूल जाकिर कॉलोनी।
19.	78-करीम नगर	रफीक मैमोरियल पब्लिक स्कूल, करीमनगर।

नोट:- 1. उपरोक्त विद्यालय, उपरोक्त विषय से सम्बन्धित समय-समय पर जारी शासनादेशों / विभागीय आदेशों में दिये गये नियमों एवं शर्तों को पूर्ण करने एवं उनका पालन करने की दशा में ही अर्ह होंगे।

2. उक्त असेवित वार्डों के सम्मुख दर्शाये गये विद्यालयों के अतिरिक्त वार्ड के अन्तर्गत आने वाले अन्य गैर सहायतित मान्यता प्राप्त अर्ह विद्यालयों में भी आवेदन किये जा सकते हैं।

(1). अपर्यवेक्षित समूह

राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार अलाभित समूह की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा निःशुल्क बच्चा एवं एच.आई.वी. अथवा कैंसर पीड़ित माता-पिता अथवा अभिभावक का बच्चा या निराश्रित बेघर बच्चा रखा गया है।

(2). कमजोर वर्ग

दुर्बल वर्ग की श्रेणी में जिसके माता-पिता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे विकलांग / बृद्धावस्था / विधवा पेंशन प्राप्त करते हैं या जिनकी अधिकतम वार्षिक आय रूपसे 1,00,000/- तक है, को रखा गया है।

(3). आवेदन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से अभिभावक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और सीधे जमा किया जा सकता है।

1. शैक्षिक सत्र 2015-16 के लिये कक्षा-01 / पूर्व माध्यमिक कक्षा, जो कक्षा 08 तक की शिक्षा हेतु मान्य होगा, में प्रवेश मिलेगा।

2. विद्यालय में लिये जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति विद्यालय को शासनादेश की शर्तों के अनुसार की जायेगी।

3. वार्ड में एक से अधिक मान्यता प्राप्त विद्यालय उपलब्ध होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, द्वारा प्रवेश हेतु विद्यालय आवंटित किया जायेगा। यहाँ यह भी ध्यान रखा जायेगा कि बच्चों को यथासम्भव निवास के निकटतम विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाये।

4. प्रवेश हेतु बच्चों अथवा अभिभावक की किसी प्रकार की स्क्रीनिंग / परीक्षा प्रतिबन्धित है।

5. शासनादेश दिनांक 20.06.2013 के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

सम्बन्धित शासनादेश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप सर्व शिक्षा अभियान, की वेबसाईट www.upefa.com उपलब्ध है।

(जीवेन्द्र सिंह ऐरी)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ

DTONIC
Mst.
Pls, upload
on Website

BSA नेत्र
25/02/15